

599वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 अक्टूबर 2022

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 599वीं बैठक दिनांक 08/10/2022 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :-

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रुबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. (डॉ.) आलोक मित्तल, सदस्य ।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
7. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. **Case No 8634/2021 M/s Rockphailer Gramudhyog Sewa Sansthan, Village - Mudahara, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 21.10 ha. (6,00000 cum per annum) (Khasra No. 201/1), Village - Mudahara, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) Env. Consultant Aseries Envirotek India Pvt. Ltd., Noida (U.P.)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 201/1), Village - Mudahara, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) 21.10 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 526वीं दिनांक 11/11/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई. आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाइन प्रेषित की गई है ।

आज दिनांक 08/10/22 को परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावक श्री मनोज कुमार मिश्रा (अधिकृत प्रतिनिधि) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री आर.के पांडे तथा श्री अमर यादव, मेसर्स ए सीरीज इंवायरोटेक इंडिया प्रा० लि०., नोएडा (उ.प्र.), उपस्थित हुए उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान क्षेत्र दक्षिण-पश्चिमी दिशा में 02 जलीय संरचना है, क्रमशः 60 मीटर व 245 मीटर पर स्थित है तथा एक प्राकृतिक नाला दक्षिण दिशा में 110 मीटर पर स्थित है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके संरक्षण हेतु गारलेन ड्रेन व सेटलिंग टैंक प्रस्तावित किए गए हैं तथा सेटलड वाटर ही निस्सारित किया जावेगा । इसी प्रकार 01 कच्चा रोड़ आवंटित क्षेत्र से निकल रहा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह पगडंडी है तथा वर्तमान में उनके खदान का

599वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 अक्टूबर 2022

पहुंच मार्ग भी है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान शासकीय भूमि पर है जिसमें कुल 32 पेड़ लगे हैं, जिसकी इन्वेंट्री ई.आई.ए. में सलग्न है। खनन क्षेत्र में विद्यमान कुल 32 पेड़ में से 09 पेड़ बैरियर जोन में होने के कारण नहीं काटे नहीं जायेंगे तथा 23 पेड़ (बबूल, खैर एवं पलाश) काटे जावेंगे एवं उसके एवज 230 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत खसरा न0. 201/1 के पी.-2 फार्म में लगभग 1500 पेड़ों का विवरण (कैफियत कॉलम) दर्ज है जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा इसी खसरे में आवंटित क्षेत्र 21.10 हे. में मात्र 23 वृक्षों की इन्वेंट्री ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की है, जिससे विरोधाभास की स्थिति निर्मित हो रही है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त खसरे का कुल क्षेत्रफल लगभग 45 हे0. है जो सम्पूर्ण क्षेत्र में स्थित पेड़ों की संख्या दर्शा रहा है, जबकि उनके लीज क्षेत्र (21.10 हे0.) में 23 पेड़ लगे हुये हैं। समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि वे उपरोक्त संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत करें साथ ही लीज एरिया में स्थित पेड़ों की इन्वेंट्री (प्रजातिवार उंचाई, गोलाई) के सत्यापन हेतु ड्रोन विडियोग्राफी प्रस्तुत करें।

इसी प्रकार समिति ने पाया कि खनिज निरीक्षक के द्वारा जारी पत्र दिनांक 28/12/2020 में 500 मी. के परिधि के अंतर्गत दी गई जानकारी के बिन्दु क0. 1(जे) के अनुसार आवेदित स्थल पर “धार्मिक स्थल” स्थित है। अतः परियोजना प्रस्तावक सरफेस मेंप पर इसे अंकित करते हुए यह सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर यह जानकारी प्रस्तुत करें कि यह मंदिर पुरातत्व महत्व का तो नहीं है, यदि होतो तत्संबंध में पुरातत्व विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप उसकी संरक्षण योजना प्रस्तुत करें एवं यदि पुरातत्व महत्व का नहीं है तो वहाँ पर आने-जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या के आधार पर उसकी संरक्षण योजना प्रस्तुत करें। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्नलिखित जानकारियां समिति द्वारा प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया:-

1. खसरा न0. 201/1 के पी.-2 फार्म में कैफियत कॉलम लगभग 1500 पेड़ों का विवरण दर्ज है। जबकि परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र (21.10 हे0.) में 23 पेड़ लगे हुये हैं। अतः इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत करें साथ ही लीज एरिया में स्थित पेड़ों की इन्वेंट्री (प्रजातिवार उंचाई, गोलाई) के सत्यापन हेतु ड्रोन विडियोग्राफी प्रस्तुत करें।
2. खनिज निरीक्षक के द्वारा जारी पत्र दिनांक 28/12/2020 में 500 मी. के परिधि के अंतर्गत दी गई जानकारी के बिन्दु क0. 1(जे) के अनुसार आवेदित स्थल पर “धार्मिक स्थल” स्थित है। अतः परियोजना प्रस्तावक सरफेस मेंप पर इसे अंकित करते हुए यह सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर यह जानकारी प्रस्तुत करें कि यह मंदिर पुरातत्व महत्व का तो नहीं है, यदि होतो तत्संबंध में पुरातत्व विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप उसकी संरक्षण योजना प्रस्तुत करें एवं यदि पुरातत्व महत्व का नहीं है तो वहाँ पर आने-जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या के आधार पर उसकी संरक्षण योजना प्रस्तुत करें।
3. समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना।
4. समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी. जिसमें मिस्ट फॉगर, गेम प्रुफ फेंसिंग का प्रस्ताव शामिल करते हुये प्रस्तुत करें।
5. प्रस्तुतीकरण में सी.ई.आर. लागत रु. 02.40 लाख दर्शाई गई हैं जिसे परियोजना लागत के साथ स्पष्ट करें।

599वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 अक्टूबर 2022

6. जन-सुनवाई प्रक्रिया के दौरान ग्रामीणों द्वारा संबंधित सुझाये गये पानी की टंकी का निर्माण, नाली का निर्माण, तालाब का गहरीकरण एवं सौंदर्यीकरण संबंधी कार्य को समिति द्वारा सुझाये अनुसार परियोजना लागत से तुलना करते पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें ।

2. Case No 8624/2021 M/s K.G.Developers, Shri Ashish Kharya, Authorised Signatory, C-99, New Minal Residency, J.K.Road, Dist. Bhopal, MP Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 6.082 ha. (70000 cum per annum) (Khasra No. 1214, 1215), Village - Pasan, Tehsil - Anuppur, Dist. Anuppur (MP) Env. Consultant Aseries Envirotek India Pvt. Ltd., Lucknow U.P.

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1214, 1215), Village - Pasan, Tehsil - Anuppur, Dist. Anuppur (MP) 6.082 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 583वीं बैठक दिनांक 30/06/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे ।

प्रकरण बैठक क्रमांक 585 वीं दिनांक 13/07/22 एवं 583वीं बैठक दिनांक 30/06/22 प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं । समिति ने पाया कि राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 573वीं बैठक दिनांक 28/05/22 में अनूपपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई तथा यह लेख किया गया था कि अनूपपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये । आज दिनांक तक अनूपपुर जिले की संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अप्राप्त है तथा बिना अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के रेत खनन संबंधी पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों का परीक्षण कर अनुशंसा नहीं की जा सकती है । अतः जब तक संबंधित जिलों की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन नहीं होता तब तक पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त ऐसे प्रकरणों को डिलिस्ट किया जाये, ताकि ऐसे प्रकरण सिया/सेक स्तर पर ऑनलाईन लम्बित परिलक्षित न हो ।

इस प्रकरण में समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को 02 प्रस्तुतीकरण के अवसर दिये जाने के बाद भी परियोजना प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं और न ही उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर समय चाहा गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक इस प्रोजेक्ट में पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी कार्यवाही करने में रुचि नहीं ले जा रही है । अतः समिति की अनुशंसा है कि इस प्रकरण को उपरोक्त आधार पर नस्तीबद्ध (Delist) करते हुए सिया को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जाये ।

599वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 अक्टूबर 2022

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल की बैठक क्र०. 747 वीं दिनांक 14/09/2022 चर्चा एवं परामर्श उपरांत प्रकरण को रिलिस्ट करते हुये सेक को परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है।

आज दिनांक 08/10/22 को परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावक श्री आशीष खेरिया और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री आर.के पांडे तथा श्री अमर यादव, मेसर्स ए सीरीज इन्वायरोटेक इंडिया प्रा०. लि०., नोएडा (उ.प्र.), उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान केवई नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि अनुमोदित अनूपपुर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) में इस खदान का विवरण दर्ज है। परीक्षण उपरांत पाया गया कि उपरोक्त प्रकरण का विवरण संबंधित डी.एस.आर. के पेज क्र०. -56 स.क्र.-02 में दर्ज (DSR PDFFormat) है। चर्चा के दौरान समिति ने निर्धारित किया गया कि चूंकि अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 60 प्रतिशत माइनेवल मिनरल पोटेन्शियल 1,09,476 घनमीटर है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित फार्म-2 में 70,000 घन मीटर रेत की मात्रा दर्शायी गई है। अतः समिति को 70,000 घन मीटर रेत की मात्रा पुनः अनुशंसित की जा सकती है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लान के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन रेत खदान के बीच में से नदी का कुछ बहाव दिखाई दे रहा है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन क्षेत्र के जिस भाग से नदी बह रही है, वहाँ पर खनन कार्य नहीं किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन क्षेत्र के दक्षिण-पश्चिम भाग से अपस्ट्रीम में लगभग 825 मीटर दूर एक रोड़ ब्रिज है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह मेजर ब्रिज या हाईवे ब्रिज नहीं है तथा आवंटित खनन क्षेत्र से 500 मीटर से अधिक दूरी पर होने के कारण आवंटित क्षेत्र में खनन किया जाना सुरक्षित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष ही हेतु ही है तथा समिति का यह चिंता है कि 01 वर्ष पश्चात् रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी 05 खदानें एक परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 29.606 हेक्टेयर एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेगा, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 70,000 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपीटल राशि रु. 15.11 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 04.19 लाख प्रति वर्ष।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna

599वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 अक्टूबर 2022

तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

4. परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण कार्य वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगे तथा वन विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण आवंटित लीज क्षेत्र के आसपास (केंचमेंट एरिया) उपलब्ध शासकीय/वन विभाग के स्वामित्व की भूमि पर वृक्षारोपण करेंगे एवं आगामी 02 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे ।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु.1.25 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

समाजिक कल्याण के लिए	
	राशि रु. में
• स्थानीय ग्रामीणों के लिए बीपी व शुगर पेंशेंट के लिए मेडिकल कैप लगाये जायेंगे ।	रु 40,000 / -
• ग्राम पासान के ऑगनवाड़ी केन्द्र में खाना बनाने के लिये, खाना परोसने के लिये और बच्चों के खाना खाने के लिये बर्तन व बच्चों के खेलने के लिए लकड़ी के खिलौने का वितरण किया जाएगा ।	रु 50,000 / -
• ग्राम पासान के प्राथमिक विद्यालय में एक कम्प्यूटर प्रणाली उपलब्ध कराई जायेगी ।	रु 35,000 / -
योग	1,25,000

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार कम से कम 3300 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)	टिप्पणी
प्रथम वर्ष रोपण				
1.	आवंटित लीज क्षेत्र के आसपास उपलब्ध क्षेत्र (केंचमेंट एरिया-इच्छुक ग्रामीणों के खेत) में	आमा हल्दी, लक्ष्मण कन्ध, अश्वगंधा, ब्राह्मी, केवकंध, वायविडन, कालमेघ अन्य प्रजातियां वन विभाग के सुझाव अनुसार	3280	वन विभाग के सहयोग से वृक्षारोपण एवं आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल ।
2	प्राथमिक विद्यालय पासान	कंदंब, अमलतास, अशोक, झारुल, नीम इत्यादि ।	20	स्कूल की बाउंड वाल बन चुकी है ।
योग			3300	

599वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 अक्टूबर 2022

3. **Case No 8625/2021 M/s K.G.Developers, Shri Ashish Kharya, Authorised Sigantory, C-99, New Minal Residency, J.K.Road, Dist. Bhopal, MP Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 6.0 ha. (50000 cum per annum) (Khasra No. 164), Village - Cholna, Tehsil - Jaithari, Dist. Anuppur (MP) Env. Consultant Aseries Envirotek India Pvt. Ltd., Lucknow U.P.**

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 164), Village - Cholna, Tehsil - Jaithari, Dist. Anuppur (MP) 6.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 583 वीं बैठक दिनांक 30/06/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

प्रकरण आज बैठक क्रमांक 585 वीं दिनांक 13/07/22 एवं 583वीं बैठक दिनांक 30/06/22 प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। समिति ने पाया कि राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 573वीं बैठक दिनांक 28/05/22 में अनूपपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई तथा यह लेख किया गया था कि अनूपपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये। आज दिनांक तक अनूपपुर जिले की संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अप्राप्त है तथा बिना अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के रेत खनन संबंधी पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों का परीक्षण कर अनुशंसा नहीं की जा सकती है। अतः जब तक संबंधित जिलों की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन नहीं होता तब तक पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त ऐसे प्रकरणों को डिलिस्ट किया जाये, ताकि ऐसे प्रकरण सिया/सेक स्तर पर ऑनलाईन लम्बित परिलक्षित न हो।

इस प्रकरण में समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को 02 प्रस्तुतीकरण के अवसर दिये जाने के बाद भी परियोजना प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं और न ही उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर समय चाहा गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक इस प्रोजेक्ट में पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी कार्यवाही करने में रुचि नहीं ली जा रही है। अतः समिति की अनुशंसा है कि इस प्रकरण को उपरोक्त आधार पर नस्तीबद्ध (Delist) करते हुए सिया को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल की बैठक क्र०. 747 वीं दिनांक 14/09/2022 चर्चा एवं परामर्श उपरांत प्रकरण को रिलिस्ट करते हुये सेक को परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है।

599वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 अक्टूबर 2022

आज दिनांक 08/10/22 को परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावक श्री आशीष खेरिया और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर यादव, मेसर्स ए सीरीज इन्वायरोटेक इंडिया प्रा0. लि0., नोएडा (उत्तर प्रदेश) उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान सोन/केवई नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि अनुमोदित अनूपपुर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) में इस खदान का विवरण दर्ज है। परीक्षण उपरांत पाया गया कि उपरोक्त प्रकरण का विवरण संबंधित डी.एस.आर. के पेज क्र0. -56 स.क्र.-08 में दर्ज (DSR PDF Formate) है। चर्चा के दौरान समिति ने निर्धारित किया गया कि चूंकि अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 60 प्रतिशत माइनेवल मिनरल पोर्टेंशियल 1,08,000 घनमीटर है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित फार्म-2 में 50,000 घन मीटर रेत की मात्रा दर्शायी गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार नदी के उत्तरी पश्चिम दिशा में खदान के अंदर एक स्टॉप डेम का निर्माण कार्य परिलक्षित हो रहा है एवं खदान के पश्चिमी ओर से 195 मी. पर नदी के अपस्ट्रीम में एक रोड ब्रिज स्थित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि स्टॉपडेम से रोड़ ब्रिज लगभग 400 मीटर की दूरी पर है तथा उनके द्वारा स्टॉपडेम से आवंटित खनन क्षेत्र में 250 मीटर का सेटबैक नॉन माईनिंग जोन के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार खनन योग्य क्षेत्र से रोड़ ब्रिज की दूरी 650 मीटर हो जाती है तथा आवंटित खनन क्षेत्र रोड़ ब्रिज के अपस्ट्रीम होने के कारण 500 मीटर से अधिक दूरी पर होने के कारण आवंटित क्षेत्र में खनन किया जाना सुरक्षित है तथा खनन हेतु लगभग 04.50 हे. क्षेत्र उपलब्ध होगा, जो स्वीकृत मात्रा के 50,000 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्याप्त होगा। समिति ने पाया कि स्वीकृत खनन योजना में गहराई 0.90 मीटर दी गई है अतः उपलब्ध 4.50 हे. में से कुल 40,500 घन मीटर रेत निकाली जा सकती है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष ही हेतु ही है तथा समिति का यह चिंता है कि 01 वर्ष पश्चात् रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी 05 खदानें एक परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 29.606 हेक्टेयर एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगे, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 40,500 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 13.71 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 03.85 लाख प्रति वर्ष।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं

599वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 अक्टूबर 2022

है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।

4. परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण कार्य वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगे तथा वन विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण आवंटित लीज क्षेत्र के आसपास (केंचमेंट एरिया) उपलब्ध शासकीय/वन विभाग के स्वामित्व की भूमि पर वृक्षारोपण करेंगे एवं आगामी 02 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु.1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सामाजिक कल्याण के लिए	
	राशि रु. में
• ग्राम चोलना के ग्रामीणों के लिए बीपी व शुगर पेसेंट के लिए मेडिकल कैंप लगाया जायेगा।	रु 55,000 /—
• प्राथमिक विद्यालय में छात्रों के लिए बैग और बोतल का वितरण किया जायेगा।	रु 15,000 /—
• उज्जवला योजना के तहत बीपीएल श्रेणी से नीचे 10 लोगों को 10 एलपीजी गैस का वितरण किया जायेगा।	रु 30,000 /—
योग	1,00,000

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार कम से कम 3320 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)	टिप्पणी
प्रथम वर्ष रोपण				
1.	आवंटित लीज क्षेत्र के आसपास उपलब्ध क्षेत्र (केंचमेंट एरिया—इच्छुक ग्रामीणों के खेत) में	आमा हल्दी, लक्ष्मण कन्ध, अश्वगंधा, ब्राह्मी, केवकंध, वायविडन, कालमेघ अन्य प्रजातियाँ वन विभाग के सुझाव अनुसार	3300	वन विभाग के सहयोग से वृक्षारोपण एवं आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल।
2	चोलना प्राथमिक विद्यालय	कंदंब, अमलतास, अशोक, झारुल, नीम इत्यादि।	20	स्कूल की बाउंड वाल बन चुकी है।
योग			3320	

599वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 अक्टूबर 2022

4. **Case No 8626/2021 M/s K.G.Developers, Shri Ashish Kharya, Authorised Sigantory, C-99, New Minal Residency, J.K.Road, Dist. Bhopal, MP Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 6.50 ha. (32000 cum per annum) (Khasra No. 1763, 95/1), Village - Gobri, Tehsil - Jaithari, Dist. Anuppur (MP) Env. Consultant Aseries Envirotek India Pvt. Ltd., Lucknow U.P.**

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1763, 95/1), Village - Gobri, Tehsil - Jaithari, Dist. Anuppur (MP) 6.50 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 583वीं बैठक दिनांक 30/06/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

प्रकरण आज बैठक क्रमांक 585 वीं दिनांक 13/07/22 एवं 583 वीं बैठक दिनांक 30/06/22 प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। समिति ने पाया कि राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 573वीं बैठक दिनांक 28/05/22 में अनूपपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई तथा यह लेख किया गया था कि अनूपपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये। आज दिनांक तक अनूपपुर जिले की संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अप्राप्त है तथा बिना अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के रेत खनन संबंधी पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों का परीक्षण कर अनुशंसा नहीं की जा सकती है। अतः जब तक संबंधित जिलों की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन नहीं होता तब तक पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त ऐसे प्रकरणों को डिलिस्ट किया जाये, ताकि ऐसे प्रकरण सिया/सेक स्तर पर ऑनलाईन लम्बित परिलक्षित न हो।

इस प्रकरण में समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को 02 प्रस्तुतीकरण के अवसर दिये जाने के बाद भी परियोजना प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं और न ही उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर समय चाहा गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक इस प्रोजेक्ट में पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी कार्यवाही करने में रुचि नहीं ली जा रही है। अतः समिति की अनुशंसा है कि इस प्रकरण को उपरोक्त आधार पर नस्तीबद्ध (Delist) करते हुए सिया को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल की बैठक क्र०. 747 वीं दिनांक 14/09/2022 चर्चा एवं परामर्श उपरांत प्रकरण को रिलिस्ट करते हुये सेक को परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है।

599वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 अक्टूबर 2022

आज दिनांक 08/10/22 को परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावक श्री आशीष खेरिया और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर यादव, मेसर्स ए सीरीज इन्वायरोटेक इंडिया प्रा०. लि०., नोएडा (उ. प्र.), उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान टीपान नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि अनुमोदित अनूपपुर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) में इस खदान का विवरण दर्ज है। परीक्षण उपरांत पाया गया कि उपरोक्त प्रकरण का विवरण संबंधित डी.एस.आर. के पेज क्र०. —56 स.क्र.—13 (DSR PDF Formate) में दर्ज है। चर्चा के दौरान समिति ने निर्धारित किया गया कि चूंकि अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 60 प्रतिशत माइनेवल मिनरल पोर्टेंशियल 1,17,000 घनमीटर है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित फार्म-2 में 32,000 घन मीटर रेत की मात्रा दर्शायी गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन रेत खदान के डाऊनस्ट्रीम पर एक पक्का रोड ब्रिज लीज के दक्षिण- पश्चिम दिशा में 190 मीटर पर स्थित है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह ब्रिज मेजर रोड/हाईवे ब्रिज न होने के कारण उनके द्वारा 500 मीटर का सेटबैक छोड़ा गया है तथा सेटबैक छोड़े जाने के पश्चात् 03.50 हे. क्षेत्र खनन हेतु उपलब्ध होता है, जिससे अनुमोदित खनन योजना अनुसार स्वीकृत गहराई 01.15 मीटर के आधार पर 32,000 घनमीटर/वर्ष रेत का खनन किया जा सकता है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष ही हेतु ही है तथा समिति का यह चिंता है कि 01 वर्ष पश्चात् रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी 05 खदानें एक परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 29.606 हेक्टेयर एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगे, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत — 32,000 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 08.68 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 02.85 लाख प्रति वर्ष।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
4. परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण कार्य वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगे तथा वन विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण आवंटित लीज

599वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 अक्टूबर 2022

क्षेत्र के आसपास (केंचमेंट एरिया) उपलब्ध शासकीय/वन विभाग के स्वामित्व की भूमि पर वृक्षारोपण करेंगे एवं आगामी 02 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे ।

5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु.0.95 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

समाजिक कल्याण	
	राशि रु. में
• स्थानीय ग्रामीणों के लिए वर्ष में दो बार स्वास्थ्य शिविरों की व्यवस्था (कोविड-19 जांच, रक्तचाप मधुमेह, मुख की स्वच्छता) ।	40,000 /—
• स्कूल में छात्रों को पर्यावरण संरक्षण संबंधित जानजगरण जनगरुकता का आयोजन करना ।	25,000 /—
• ग्राम जैतहरी के तालाब का वृक्षारोपण व सुंदरीकरण ।	20,000 /—
• उज्जवला योजना के तहत ग्राम भटूरा, सेमेरा में खदान श्रमिकों को रसोई गैस सिलेंडर/सोल कुकर वितरण किया जायेगा ।	30,000 /—
योग	95,000 /—

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम कम से कम 3,000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)	टिप्पणी
प्रथम वर्ष रोपण				
1.	आवंटित लीज क्षेत्र के आसपास उपलब्ध क्षेत्र (केंचमेंट एरिया-इच्छुक ग्रामीणों के खेत) में	आमा हल्दी, लक्ष्मण कन्ध, अश्वगंधा, ब्राह्मी, केवकंध, वायविडन, कालमेघ अन्य प्रजातियां वन विभाग के सुझाव अनुसार	2960	वन विभाग के सहयोग से वृक्षारोपण एवं आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल ।
2	नोबल पब्लिक इन. एम. ई.डी माध्यमिक उच्चतर विद्यालय	खमेर, नीम, शीशम, चिरौल, सागवान, साल, सहजन सीताफल, और अन्य उपलब्ध देशी प्रजातियां ।	40	स्कूल की बाउंड वाल बन चुकी है ।
योग			3000	

599वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 अक्टूबर 2022

5. **Case No 8627/2021 M/s K.G.Developers, Shri Ashish Kharya, Authorised Sigantory, C-99, New Minal Residency, J.K.Road, Dist. Bhopal, MP Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 5.664 ha. (67968 cum per annum) (Khasra No. 1), Village - Chakaghat, Tehsil - Anuppur, Dist. Anuppur (MP) Env. Consultant Aseries Envirotek India Pvt. Ltd., Lucknow U.P.**

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1), Village - Chakaghat, Tehsil - Anuppur, Dist. Anuppur (MP) 5.664 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 583वीं बैठक दिनांक 30/06/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

प्रकरण आज बैठक क्रमांक 585वीं दिनांक 13/07/22 एवं 583वीं बैठक दिनांक 30/06/22 प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं । समिति ने पाया कि राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 573वीं बैठक दिनांक 28/05/22 में अनूपपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई तथा यह लेख किया गया था कि अनूपपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये । आज दिनांक तक अनूपपुर जिले की संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अप्राप्त है तथा बिना अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के रेत खनन संबंधी पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों का परीक्षण कर अनुशंसा नहीं की जा सकती है । अतः जब तक संबंधित जिलों की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन नहीं होता तब तक पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त ऐसे प्रकरणों को डिलिस्ट किया जाये, ताकि ऐसे प्रकरण सिया/सेक स्तर पर ऑनलाईन लम्बित परिलक्षित न हो ।

इस प्रकरण में समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को 02 प्रस्तुतीकरण के अवसर दिये जाने के बाद भी परियोजना प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं और न ही उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर समय चाहा गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक इस प्रोजेक्ट में पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी कार्यवाही करने में रुचि नहीं ली जा रही है । अतः समिति की अनुशंसा है कि इस प्रकरण को उपरोक्त आधार पर नस्तीबद्ध (Delist) करते हुए सिया को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जाये।

599वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 अक्टूबर 2022

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल की बैठक क्र0. 747 वीं दिनांक 14/09/2022 चर्चा एवं परामर्श उपरांत प्रकरण को रिलिस्ट करते हुये सेक को परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है।

आज दिनांक 08/10/22 को परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावक श्री आशीष खेरिया और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर यादव, मेसर्स ए सीरीज इन्वायरोटेक इंडिया प्रा0. लि0., नोएडा (उ.प्र.), उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान सोन नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि अनुमोदित अनूपपुर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) में इस खदान का विवरण दर्ज है। परीक्षण उपरांत पाया गया कि उपरोक्त प्रकरण का विवरण संबंधित डी.एस.आर. के पेज क्र0. -56 स.क्र.-4 में दर्ज (DSR PDF Formate) है। चर्चा के दौरान समिति ने निर्धारित किया गया कि चूंकि अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 60 प्रतिशत माइनेवल मिनरल पोटेन्शियल 1,01,952 घनमीटर है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित फार्म-2 में 67,968 घन मीटर रेत की मात्रा दर्शायी गई है। अतः समिति को 67,968 घन मीटर रेत की मात्रा पुनः अनुशंसित की जा सकती है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लान के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन रेत खदान के मध्य से नदी का कुछ बहाव दिखाई दे रहा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन क्षेत्र के जिस भाग से नदी की धारा निकल रही है, वहाँ पर खनन कार्य प्रस्तावित नहीं है। खदान के जन सुनवाई के दौरान उपस्थित ग्रामीण जनों ने वाहनों के आवागमन से उड़ने वाली धूल से उत्पन्न होने वाली समस्या, जल छिड़काव, पौधारोपण करने, हेण्ड पंप के स्थान पर ट्यूबवेल लगाने एवं वाहनों की गति नियंत्रित की जावे आदि बिन्दुओं पर परियोजना प्रस्तावक से मांग की गई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई ई.एम.पी. योजना में उक्त सभी बिन्दुओं का समावेश किया गया है एवं तत्संबंध में पर्याप्त बजट का भी प्रावधान किया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष ही हेतु ही है तथा समिति का यह चिंता है कि 01 वर्ष पश्चात् रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी 05 खदानें एक परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 29.606 हेक्टेयर एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेगा, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत — 67,968 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 14.11 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 03.41 लाख प्रति वर्ष।

599वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 अक्टूबर 2022

3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
4. परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण कार्य वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगे तथा वन विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण आवंटित लीज क्षेत्र के आसपास (केंचमेंट एरिया) उपलब्ध शासकीय/वन विभाग के स्वामित्व की भूमि पर वृक्षारोपण करेंगे एवं आगामी 02 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु.1.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

समाजिक कल्याण	
	राशि रु. में
• ग्राम चाकाघाट के ग्रामीणों में 100 मास्क और 04 नग 10 लीटर हैंड सैनिटाइजर का वितरण किया जायेगा।	रु 80,000/-
• चाकाघाट के ग्रामीणों के बीपीएल श्रेणी के 30 लोगों को 30 मच्छरदानी का वितरण किया जायेगा।	रु 70,000/-
• ग्राम बकाही/चाका में पानी के लिए 01 बोरवेल की स्थापना कराई जायेगी।	रु 40,000/-
• प्राथमिक विद्यालय, चाकाघाट के सामाजिक कल्याण के लिए योगदान (छात्रों के लिए खेल किट और बेंच दिया जायेगा।)	रु 10,000/-
• स्थानीय ग्रामीणों के लिए बीपी व भुगर पे ढाँचा के लिए मेडिकल कैंप लगायेंगे।	रु 40,000/-
• उज्जवला योजना के तहत चाका/बकाही गांव में एलपीजी गैस सिलेंडर का वितरण किया जायेगा।	रु 15,000/-
योग	1,20,000

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार कम से कम 3,800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)	टिप्पणी
-----	---------------------------------------	---------------------	---------------------	---------

599वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 अक्टूबर 2022

प्रथम वर्ष रोपण			
1.	आवंटित लीज क्षेत्र के आसपास उपलब्ध क्षेत्र (केंचमेंट एरिया—इच्छुक ग्रामीणों के खेत) में	आमा हल्दी, लक्ष्मण कन्ध, अश्वगंधा, ब्राह्मी, केवकंध, वायविडन, कालमेघ अन्य प्रजातियां वन विभाग के सुझाव अनुसार	3782 वन विभाग के सहयोग से वृक्षारोपण एवं आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल ।
2	ग्राम चाका के प्राथमिक विद्यालय में	कदम्ब, अमलतास, अशोक, झारुल, नीम , इत्यादि ।	18 स्कूल की बाउंड वाल बन चुकी है ।
योग		3800	

6. Case No 8663/2021 M/s K.G.Developers, Shri Ashish Kharya, Authorized Signatory, Village - Manpur, Tehsil & Dist. Anuppur, MP Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 5.360 ha. (96480 cum per annum) (Khasra No. 75/78, 37/77), Village - Manpur, Tehsil - Anuppur, Dist. Anuppur (MP). Env. Consultant M/s. Aseries Envirotech India Pvt. Ltd. Noida, UP .

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 75/78, 37/77), Village - Manpur, Tehsil - Anuppur, Dist. Anuppur (MP) 5.360 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 518वीं दिनांक 08/10/2021 में टोर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 560वीं दिनांक 12/03/2022 में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई थी ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल की बैठक क्र०. 747 वीं दिनांक 14/09/2022 के द्वारा पर्यायवर्णीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा एवं परामर्श उपरांत प्रकरण को रिलिस्ट करते हुये सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया ।

- जिले की नवीन (अपडेटेड) जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) द्वारा परीक्षण एवं सिया के अनुमोदन पश्चात प्रकरण पर विचार किया जाना संभव होगा ।

599वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 अक्टूबर 2022

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकरण को सेक की 599 वीं बैठक दिनांक 08/10/2022 में चर्चा हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) के समक्ष चर्चा हेतु रखा गया तथा इस बैठक में अनूपपुर जिले की रेत खनिज की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर पुनः परीक्षण उपरांत पाया गया कि उपरोक्त प्रकरण डी.एस.आर. के पेज क्र०. -56 में दर्ज (DSR PDF Formate) है। चर्चा के दौरान समिति ने निर्धारित किया गया कि चूंकि अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 60 प्रतिशत माइनेवल मिनरल पोटेन्शियल 96,480 घनमीटर है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित फार्म-2 में 96,480 घन मीटर रेत की मात्रा दर्शायी गई है। अतः समिति को 96,480 घन मीटर रेत की मात्रा पुनः अनुशंसित की जा सकती है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष ही हेतु ही है तथा समिति का यह चिंता है कि 01 वर्ष पश्चात् रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी 05 खदानें एक परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 29.606 हेक्टेयर एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेगा, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है कि चूंकि अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 60 प्रतिशत माइनेवल मिनरल पोटेन्शियल 96,480 घनमीटर है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति 96,480 घन मीटर रेत की मात्रा हेतु चाही गई है। राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 560वीं दिनांक 12/03/2022 में कुल 96,480 घन मीटर रेत की मात्रा पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित की गई है। अतः समिति अपनी पूर्व की अनुशंसा को मान्य करते हुए वृक्षारोपण हेतु निम्न अतिरिक्त शर्त जोड़ने की अनुशंसा करती है एवं अन्य शर्तें यथावत रहेंगी :-

1. परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण कार्य वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगे तथा वन विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण आवंटित लीज क्षेत्र के आसपास (केंचमेंट एरिया) उपलब्ध शासकीय/वन विभाग के स्वामित्व की भूमि पर वृक्षारोपण करेंगे एवं आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे।

7. **Case No 9332/2022 M/s Euphoria Mines & Minerals, Partner, Shri Himanshu Meena, 9A, Paramount Villa, Near Ansal, Shamlu Hills, Bhopal - 462013, Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 15.0 ha. (120000 Cum per annum) (Khasra No. 398), Village - Andiya, Tehsil - Udaipura, Dist. Raisen (MP)**

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 398), Village - Andiya, Tehsil - Udaipura, Dist. Raisen (MP) 15.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 08/10/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री आनंद ताम्रकार, पार्टनर (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इन्वायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा,

599वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 अक्टूबर 2022

उ.प्र. उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 427 दिनांक 31/05/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः यह प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति “रिप्लेनिशमेंट प्लान” के अनुसार हो रही है जिसका विवरण अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जो नई डी.एस.आर. उनके द्वारा अपलोड की गई है, जिसकी तालिका-निरंक-Annexure-III (पेज नं.-104) के सरल क्रमांक-30 पर माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत)-4,50,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1,20,000 घन मीटर की हेतु टॉर के लिए आवेदन किया गया है। यह रेत खदान नर्मदा नदी पर स्थित है अतः सिर्फ मैनुअल माईनिंग की जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है:-

1. रेत खनन का प्रकरण नर्मदा नदी में होने के कारण सिर्फ मैनुअल माईनिंग (Only Manual Mining) की जाये तथा यदि आवंटित खनन क्षेत्र में एक्वेटिक फाउना का ब्रीडिंग क्षेत्र या अन्य कोई संवेदनशील क्षेत्र हो तो उसकी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में मय संरक्षण योजना के प्रस्तुत करें।
2. वृक्षारोपण हेतु जिले के वन मंडलाधिकारी, वन विभाग से सम्पर्क कर वृक्षारोपण योजना प्रस्तुत करें।
3. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफलेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
4. यदि लीज एरिया के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में कोई रोड़, ब्रिज/या अन्य कोई सिविल निर्माण जैसे : स्टापडेम अथवा कॉजवे इत्यादि लीज में या लीज के आसपास स्थित हो तो वहाँ मॉनिटरिंग एवं इंफोर्समेंट गाइडलाइन, 2020 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित) के अंतर्गत सुरक्षित दूरी छोड़े एवं इसका सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
5. यदि नदी का प्रवाह आवंटित लीज क्षेत्र से हो रहा हो तो नदी के पानी के क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़कर एवं यदि कोई सहायक नदी / नाला आवंटित लीज क्षेत्र में मिल रहा हो तो सेंड माईनिंग गाइडलाइन, 2016 एवं 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार उसे गैर खनन के रूप में छोड़ते हुए संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) योजना ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये।
7. रेत परिवहन मार्ग को गूगन नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
8. आवंटित खनन क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना एवं आसपास स्थित शासकीय भूमि पर ड्रोन के माध्यम से सीड वॉल तकनीक पर आधारित वृक्षारोपण योजना की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

599वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 अक्टूबर 2022

9. आवंटित खनन क्षेत्र के आसपास शासकीय भूमि पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. आवंटित खनन क्षेत्र के आसपास की भूमि पर एगोफॉरेस्ट्री की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. चूँकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन भी प्राप्त किया जाये ।
12. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-I.A.II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
13. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है ।

8. Case No 9333/2022 M/s Euphoria Mines & Minerals, Partner, Shri Himanshu Meena, 9A, Paramount Villa, Near Ansal, Shamla Hills, Bhopal - 462013, Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 14.0 ha. (2,00,000 Cum per annum) (Khasra No. 225/1), Village - Satrawan-1, Tehsil - Barailly, Dist. Raisen (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 225/1), Village - Satrawan-1, Tehsil - Barailly, Dist. Raisen (MP) 14.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 08/10/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री आनंद ताम्रकार, पार्टनर (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, उ.प्र. उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 427 दिनांक 31/05/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः यह प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति "रिप्लेनिशमेंट प्लान" के अनुसार हो रही है जिसका विवरण अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जो नई डी.एस.आर. उनके द्वारा अपलोड की गई है, जिसकी तालिका-निरंक-Annexure-III (पेज नं.-103) के सरल क्रमांक-02 पर माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल (60 प्रतिशत)-4,20,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2,00,000 घन मीटर की हेतु टॉर के लिए आवेदन किया गया है । यह रेत खदान नर्मदा नदी पर स्थित है अतः सिर्फ मैनुअल माईनिंग की जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में

599वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 अक्टूबर 2022

ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है:—

1. रेत खनन का प्रकरण नर्मदा नदी में होने के कारण सिर्फ मैन्युअल माइनिंग (Only Manual Mining) की जाये तथा यदि आवंटित खनन क्षेत्र में एक्वेटिक फाउना का ब्रीडिंग क्षेत्र या अन्य कोई संवेदनशील क्षेत्र हो तो उसकी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में मय संरक्षण योजना के प्रस्तुत करें।
2. वृक्षारोपण हेतु जिले के वन मंडलाधिकारी, वन विभाग से सम्पर्क कर वृक्षारोपण योजना प्रस्तुत करें।
3. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफ्लेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
4. यदि लीज एरिया के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में कोई रोड, ब्रिज/या अन्य कोई सिविल निर्माण जैसे : स्टापडेम अथवा कॉजवे इत्यादि लीज में या लीज के आसपास स्थित हो तो वहाँ मॉनिटरिंग एवं इंफोर्समेंट गाइडलाइन, 2020 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित) के अंतर्गत सुरक्षित दूरी छोड़े एवं इसका सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
5. यदि नदी का प्रवाह आवंटित लीज क्षेत्र से हो रहा हो तो नदी के पानी के क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़कर एवं यदि कोई सहायक नदी / नाला आवंटित लीज क्षेत्र में मिल रहा हो तो सेंड माइनिंग गाइडलाइन, 2016 एवं 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार उसे गैर खनन के रूप में छोड़ते हुए संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये।
7. रेत परिवहन मार्ग को गूगल नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
8. आवंटित खनन क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना एवं आसपास स्थित शासकीय भूमि पर ड्रोन के माध्यम से सीड वॉल तकनीक पर आधारित वृक्षारोपण योजना की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
9. आवंटित खनन क्षेत्र के आसपास शासकीय भूमि पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
10. आवंटित खनन क्षेत्र के आसपास की भूमि पर एग्रोफॉरेस्ट्री की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
11. चूंकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे

599वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 अक्टूबर 2022

संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन भी प्राप्त किया जाये ।

12. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-I.A. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
13. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है ।

9. Case No 7466/2020 M/s R.S.I. Stone World Pvt. Ltd, Authorized Signatory, Shri Virendra Singh Jadon, E-7/M-708, Arera Colony, Distt. Bhopal, MP - 462016 Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 6.0 ha. (63000 cum per annum) (Khasra No. 263, 350), Village - Mudgudi, Tehsil - Manpur, Dist. Umariya (MP). Env. Consultant M/s. Greencindia Consulting Private Limited Ghaziabad (U.P.)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 263, 350), Village - Mudgudi, Tehsil - Manpur, Dist. Umariya (MP) 6.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 452वीं दिनांक 27/08/2020 में टोर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 553वीं दिनांक 22/02/2022 में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई थी ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल की बैठक क्र०. 749 वीं दिनांक 23/09/2022 के द्वारा पर्यायवर्णीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा एवं परामर्श उपरांत प्रकरण को रिलिस्ट करते हुये सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

- राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 553वीं दिनांक 22/02/2022 में समिति द्वारा चाही गई जानकारी ऑनलाईन ADS के माध्यम से जमा न करते हुये ऑफलाईन जमा की गई है। अतः प्रकरण को SEAC के माध्यम से परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराये।
- अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकरण को सेक की 599 वीं बैठक दिनांक 08/10/2022 में चर्चा हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) के समक्ष चर्चा हेतु रखा गया । समिति ने पाया कि सेक की 553वीं बैठक दिनांक 22/02/2022 में वांछित जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान उसी दिन हार्डकापी में प्रस्तुत की गई थी, जिसके आधार पर प्रकरण पर्यावरणीय अभिस्वीकृति

599वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 अक्टूबर 2022

हेतु अनुशंसा सहित सिया को प्रेषित किया गया था जिसके संदर्भ में सिया से प्राप्त निर्देशानुसार (बैठक क्र०. 749 वीं दिनांक 23/09/2022) यह जानकारी ऑनलाईन ADS के माध्यम से परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जाना है। अतः परियोजना प्रस्तावक सिया से प्राप्त निर्देशानुसार उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन (ए.डी.एस.) के माध्यम से प्रस्तुत करें।

10. Case No 7467/2020 M/s R.S.I. Stone World Pvt. Ltd, Authorized Signatory, Shri Virendra Singh Jadon, E-7/M-708, Arera Colony, Dist. Bhopal, MP - 462016 Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 6.981 ha. (69810 cum per annum) (Khasra No. 05), Village – Khairbhar-2, Tehsil - Chandiya, Dist. Umariya (MP). Env. Consultant M/s. Greencindia Consulting Private Limited Ghaziabad (U.P.)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 05), Village - Khairbhar-2, Tehsil - Chandiya, Dist. Umariya (MP) 6.981 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 452वीं दिनांक 27/08/2020 में टोर (TOR) की अनुशंसा की गई थी।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 553वीं दिनांक 22/02/2022 में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई थी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल की बैठक क्र०. 749 वीं दिनांक 23/09/2022 के द्वारा पर्यायवर्णीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा एवं परामर्श उपरांत प्रकरण को रिलिस्ट करते हुये सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

- राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 553वीं दिनांक 22/02/2022 में समिति द्वारा चाही गई जानकारी ऑनलाईन ADS के माध्यम से जमा न करते हुये ऑफलाईन जमा की गई है। अतः प्रकरण को SEAC के माध्यम से परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराये।
- अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकरण को सेक की 599 वीं बैठक दिनांक 08/10/2022 में चर्चा हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) के समक्ष चर्चा हेतु रखा गया। समिति ने पाया कि सेक की 553वीं बैठक दिनांक 22/02/2022 में वांछित जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान उसी दिन हार्डकापी में प्रस्तुत की गई थी, जिसके आधार पर प्रकरण पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु अनुशंसा सहित सिया को प्रेषित किया गया था जिसके संदर्भ में सिया से प्राप्त निर्देशानुसार (बैठक क्र०. 749 वीं दिनांक 23/09/2022) यह जानकारी ऑनलाईन ADS

599वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 अक्टूबर 2022

के माध्यम से परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जाना है। अतः परियोजना प्रस्तावक सिया से प्राप्त निर्देशानुसार उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन (ए.डी.एस.) के माध्यम से प्रस्तुत करें।

11. Case No 7441/2020 M/s R.S.I. Stone World Pvt. Ltd, Authorized Signatory, Shri Virendra Singh Jadon, E-7/M-708, Arera Colony, Dist. Bhopal, MP – 462016, Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 5.260 ha. (78900 cum per annum) (Khasra No. 01), Village – Koylari, Tehsil – Chandia, Dist. Umariya (MP). Env. Consultant M/s. Greencindia Consulting Private Limited Ghaziabad (U.P.)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 01), Village – Koylari, Tehsil – Chandia, Dist. Umariya (MP) 5.260 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 452वीं दिनांक 27/08/2020 में टोर (TOR) की अनुशंसा की गई थी।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 553वीं दिनांक 22/02/2022 में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई थी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल की बैठक क्र०. 749 वीं दिनांक 23/09/2022 के द्वारा पर्यायवर्णीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा एवं परामर्श उपरांत प्रकरण को रिलिस्ट करते हुये सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

- राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 553वीं दिनांक 22/02/2022 में समिति द्वारा चाही गई जानकारी ऑनलाईन ADS के माध्यम से जमा न करते हुये ऑफलाईन जमा की गई है। अतः प्रकरण को SEAC के माध्यम से परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराये।
- अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकरण को सेक की 599 वीं बैठक दिनांक 08/10/2022 में चर्चा हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) के समक्ष चर्चा हेतु रखा गया। समिति ने पाया कि सेक की 553वीं बैठक दिनांक 22/02/2022 में वांछित जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान उसी दिन हार्डकापी में प्रस्तुत की गई थी, जिसके आधार पर प्रकरण पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु अनुशंसा सहित सिया को प्रेषित किया गया था जिसके संदर्भ में सिया से प्राप्त निर्देशानुसार (बैठक क्र०. 749 वीं दिनांक 23/09/2022) यह जानकारी ऑनलाईन ADS के माध्यम से परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जाना है। अतः परियोजना प्रस्तावक सिया से प्राप्त निर्देशानुसार उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन (ए.डी.एस.) के माध्यम से प्रस्तुत करें।

599वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 अक्टूबर 2022

12. Case No 7442/2020 M/s R.S.I. Stone World Pvt. Ltd, Authorized Signatory, Shri Virendra Singh Jadon, E-7/M-708, Arera Colony, Dist. Bhopal, MP – 462016 Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 20.0 ha. (390000 cum per annum) (Khasra No. 591/1228), Village – Govarde, Tehsil – Manpur, Dist. Umariya (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 591, 1228), Village – Govarde, Tehsil – Manpur, Dist. Umariya (MP) 20.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 452वीं दिनांक 27/08/2020 में टोर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 553वीं दिनांक 22/02/2022 में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई थी ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल की बैठक क्र०. 749 वीं दिनांक 23/09/2022 के द्वारा पर्यायवर्णीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा एवं परामर्श उपरांत प्रकरण को रिलिस्ट करते हुये सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

- राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 553वीं दिनांक 22/02/2022 में समिति द्वारा चाही गई जानकारी ऑनलाईन ADS के माध्यम से जमा न करते हुये ऑफलाईन जमा की गई है। अतः प्रकरण को SEAC के माध्यम से परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराये।
- अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकरण को सेक की 599 वीं बैठक दिनांक 08/10/2022 में चर्चा हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) के समक्ष चर्चा हेतु रखा गया । समिति ने पाया कि सेक की 553वीं बैठक दिनांक 22/02/2022 में वांछित जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान उसी दिन हार्डकापी में प्रस्तुत की गई थी, जिसके आधार पर प्रकरण पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु अनुशंसा सहित सिया को प्रेषित किया गया था जिसके संदर्भ में सिया से प्राप्त निर्देशानुसार (बैठक क्र०. 749 वीं दिनांक 23/09/2022) यह जानकारी ऑनलाईन ADS के माध्यम से परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जाना है । अतः परियोजना प्रस्तावक सिया से प्राप्त निर्देशानुसार उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन (ए.डी.एस.) के माध्यम से प्रस्तुत करें ।

599वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 अक्टूबर 2022

13. **Case No 7465/2020 M/s R.S.I. Stone World Pvt. Ltd, Authorized Signatory, Shri Virendra Singh Jadon, E-7/M-708, Arera Colony, Dist. Bhopal, MP – 462016 Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 5.744 ha. (57440 cum per annum) (Khasra No. 29/1, 29/2), Village – Kodar, Tehsil – Manpur, Dist. Umariya (MP). Env. Consultant M/s. Greencindia Consulting Private Limited Ghaziabad (U.P.).**

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 29/1, 29/2), Village – Kodar, Tehsil – Manpur, Dist. Umariya (MP) 5.744 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 452वीं दिनांक 27/08/2020 में टोर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 553वीं दिनांक 22/02/2022 में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई थी ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल की बैठक क्र०. 749 वीं दिनांक 23/09/2022 के द्वारा पर्यायवर्णीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा एवं परामर्श उपरांत प्रकरण को रिलिस्ट करते हुये सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

- राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 553वीं दिनांक 22/02/2022 में समिति द्वारा चाही गई जानकारी ऑनलाईन ADS के माध्यम से जमा न करते हुये ऑफलाईन जमा की गई है। अतः प्रकरण को SEAC के माध्यम से परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराये।
- अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकरण को सेक की 599 वीं बैठक दिनांक 08/10/2022 में चर्चा हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) के समक्ष चर्चा हेतु रखा गया । समिति ने पाया कि सेक की 553वीं बैठक दिनांक 22/02/2022 में वांछित जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान उसी दिन हार्डकापी में प्रस्तुत की गई थी, जिसके आधार पर प्रकरण पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु अनुशंसा सहित सिया को प्रेषित किया गया था जिसके संदर्भ में सिया से प्राप्त निर्देशानुसार (बैठक क्र०. 749 वीं दिनांक 23/09/2022) यह जानकारी ऑनलाईन ADS के माध्यम से परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जाना है । अतः परियोजना प्रस्तावक सिया से प्राप्त निर्देशानुसार उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन (ए.डी.एस.) के माध्यम से प्रस्तुत करें।

599वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 अक्टूबर 2022

14. Case No 7447/2020 M/s R.S.I. Stone World Pvt. Ltd, Authorized Signatory, Shri Virendra Singh Jadon, E-7/M-708, Arera Colony, Dist. Bhopal, MP – 462016 Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 9.50 ha. (95000 cum per annum) (Khasra No. 566/1226), Village – Govarde, Tehsil – Manpur, Dist. Umariya (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 566/1226), Village – Govarde, Tehsil – Manpur, Dist. Umariya (MP) 5.744 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 452वीं दिनांक 27/08/2020 में टोर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 553वीं दिनांक 22/02/2022 में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई थी ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल की बैठक क्र०. 749 वीं दिनांक 23/09/2022 के द्वारा पर्यायवर्णीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा एवं परामर्श उपरांत प्रकरण को रिलिस्ट करते हुये सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

- राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 553वीं दिनांक 22/02/2022 में समिति द्वारा चाही गई जानकारी ऑनलाईन ADS के माध्यम से जमा न करते हुये ऑफलाईन जमा की गई है। अतः प्रकरण को SEAC के माध्यम से परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराये।
- अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकरण को सेक की 599 वीं बैठक दिनांक 08/10/2022 में चर्चा हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) के समक्ष चर्चा हेतु रखा गया । समिति ने पाया कि सेक की 553वीं बैठक दिनांक 22/02/2022 में वांछित जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान उसी दिन हार्डकापी में प्रस्तुत की गई थी, जिसके आधार पर प्रकरण पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु अनुशंसा सहित सिया को प्रेषित किया गया था जिसके संदर्भ में सिया से प्राप्त निर्देशानुसार (बैठक क्र०. 749 वीं दिनांक 23/09/2022) यह जानकारी ऑनलाईन ADS के माध्यम से परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त की जाना है । अतः परियोजना प्रस्तावक सिया से प्राप्त निर्देशानुसार उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन (ए.डी.एस.) के माध्यम से प्रस्तुत करें ।

15. Case No 8863/2021 M/s Tata Steel Limited, Head Manufacturing LR PC and Product Factory Manager, Plot No. 158, 158A, Sector-III, Industrial Area, Pithampur, Tehsil & Dist. Dhar, MP Prior Environment Clearance for Regularization of existing production facilities for production of Steel Wires (1,01400 TPA) at Plot No. 158 & 158A, Industrial Area, Pithampur, Dist. Dhar (MP) . Category: 3(a). Env. Cons.: Enacon LabPvt. Ltd. Nagpur (MH)

This is case of Prior Environment Clearance for Regularization of existing production facilities for production of Steel Wires (101400 TPA) at Plot No. 158 & 158A, Industrial Area, Pithampur, Dist. Dhar (MP), Category: 3(a).

The case was presented in the SEAC 539th dated 07.01.2022 by Env. Consultant Dr. Dattatraya Garve from M/s. Enacon Lab Pvt. Ltd., Nagpur, Mh. on behalf of PP, PP submitted that this is case of regularization of existing production facilities for Steel wires of capacity 101400 TPA located at- Plot 158, 158 A, Sector 3, Pithampur Industrial Area, Tehsil & District Dhar, M.P. Seeking EC for regularization as per Hon'ble NGT order in O.A. No. 55/2019 (WZ) Order dated 12th February, 2020 in the matter of Gajubha Jesar Jadeja vs Union of India & Ors. PP submitted following submission following salient features of the project:

- M/s. TATA Steel Limited - Wire Division” Pithampur MP plant started its operations in 2006, its old unit named as Indore Wire Company, acquired by Tata Steel Ltd. PWP as on 2021 is one of the well-established manufacturing unit for GWI from operational, market & financial perspective. PWP has become hub for infrastructure segment. Produces all wires of infra family like LRPC strand, single LR, PCSR etc. and is largest plant by capacity owned by GWI.
- The proposal is for a Regularization of production facilities for steel wires of capacity 101400 TPA located at Plot No. 158 & 158A, Industrial Area Pithampur, District: Dhar (MP) - 454775.
- This is a proposal for seeking Environmental clearance for regularization of existing production facilities as per Order dated 12th February, 2020 of Hon'ble NGT in O.A. No. 55/2019 (WZ) in the matter of Gajubha Jesar Jadeja vs Union of India & Ors.
- The Company has valid CTO available from MPPCB with CONSENT No.- AW-54810 Dtd. 08-12-2021 with validity till 30.11.2022.
- The production capacity as well as size of the project remains unchanged as per CTO and application for proposed environment clearance will be as per existing CTO Capacities. In addition, land area also remains unchanged.
- M/s. Tata Steels Limited has made an application online vide proposal no. SIA/MP/MMIS/68637/2021 dated 16/12/2021 along with the application in

599वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 अक्टूबर 2022

prescribed format (Form-I), copy of pre-feasibility report and proposed ToRs for undertaking detailed EIA study as per the EIA Notification, 2006 for the project mentioned above. The proposed project activity is listed at S.No.3(a) Metallurgical industries under Category “B1” of the schedule of the EIA Notification, 2006 and being appraised at MP SEAC.

- The Land is already diverted for industrial use. The existing total project area is 8.11 Ha., out of which built up plinth area of the plant inside plot 158 & plot 158A is 2.19 Ha., greenbelt area is 1.36 Ha., Road & Paved area is 0.71 Ha. and Open area is 3.85. The land is already owned by the Tata Steel Ltd. There will be no change in land use.
- This is existing operative plant for which environmental consent is available with Consent No.AW-52440 dated 13.11.2021. It has been approved in CAC meeting. M/s. Tata Steel Ltd. is now seeking for regularization of existing production facilities as per NGT Order. The production capacity as well as size of the project remains the same. Thus, There will be no change in land area as well as production capacity.
- As per EIA notification 2006 and subsequent amendment thereof the project is categorized as Category “B1”; as per latest CTO issued the project fall under secondary metallurgical activities which is covered under 3(a) Metallurgical industries (ferrous & non-ferrous).

Committee after deliberations observed that as per Hon’ble NGT order O.A. No. 55/2019 (WZ) , dated 12th February, 2020 wherein one year window period was given for the regularization of existing production facilities which was valid upto 11th February 2021 whereas PP has applied for the regularization of EC on dated 22.10.2021. So it was observed that PP has not submitted/applied their application within time frame given by Hon’ble NGT order. In this context it has also observed that so far MoEF&CC has not issued any O.M. for any condoned period/ delayed period.

Committee also observed during presentation that PP has applied production of Steel Wires (101400 TPA) Thus Committee observed that production of Steel Wires does not fall under Category 3(a) “Metallurgical industries (ferrous & non ferrous)”. This project cannot be appraised according to direction MoEF&CC, EIA notification 2006.

1	2	3	4	5
		Materials Production		
3(a)	Metallurgical industries (ferrous & non	a) Primary metallurgical industry All	Sponge iron manufacturing 5000	“General condition shall apply. Note: (i) The recycling

599वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 अक्टूबर 2022

	ferrous)	projects b) Sponge iron manufacturing $\geq$ 200TPD c) Secondary metallurgical processing industry All toxic and heavy metal producing units $\geq$ 20,000 tonnes /annum	tonnes/annum Secondary metallurgical processing industry All toxic and heavy metal producing units 5000 tonnes/annum	industrial units registered under the HSM Rules, are exempted. (ii) In case of secondary metallurgical processing industrial units, those projects involving operation of furnaces only such as induction and electrical arc furnace, submerged arc furnace, and cupola with capacity more than 30,000 tonnes per annum (TPA) would require environmental clearance. (iii) Plant / units other than power plants (given against entry no. 1(d) of the schedule), based on municipal solid waste (nonhazardous) are exempted.”
--	----------	--	--	---

Thus in this above context SEIAA may seek clarification from MoEF&CC whether this type of activity is required Prior EC or not and if required then mentioned, fall in which category. Hence committee has decided file is return back to SEIAA for further necessary action.

In view of above the, matter was discussed by SEIAA in their 702nd meeting dated 28.01.2022 wherein it was decided to seek clarification from MoEF&CC, GoI, whether this activity of steel wire drawing can be considered as secondary metallurgical process and also the time period upto which date such cases can be considered in view of the time limit prescribed by the Hon'ble NGT. The copy of the letter may be endorsed to Project Proponent, MPPCB & SEAC.

In absence of desire information from MoEF&CC, GoI then MP SEIAA took decision to delist the case in their 722th meeting dated 07.05.2022.

599वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 अक्टूबर 2022

SEIAA relisted the case and sent back the case file to SEAC in view of PP's request made through e-mail on dated 20.09.2022 wrt MoEF&CC, GoI. Notification vide SO no. 3250 on dated 20.07.2022.

Hence, in the light of above this case was scheduled in the SEAC agenda for presentation and the case was presented by Env. Consultant Dr. D.G. Garve from M/s. Anacon Laboratories Pvt. Ltd., Nagpur and Mr. Anoop Srivastava, (Environment Head, TSM), M/s. Tata Steel Limite on behalf of PP. During presentation it was observed the PP M/s. Tata Steel Limited, Pithampur, Tehsil & Dist. Dhar, vide letter no. TSL/ 2022/PWP-1, dated 17.08.2022 quoted and enclosed on-line a MoEF&CC, GoI notification for such all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) Establish (CTE).

The notification stated that:-

*"And whereas, the Central Government, keeping in view the impact caused due to the Covid19 pandemic has taken a considered decision in line with the above said order of the Hon'ble National Green Tribunal, so as to provide a window period for such re-rolling or cold rolling units to obtain prior Environmental Clearance; And whereas, the Central Government is of the view that steel re-rolling operations fall under the purview of the secondary metallurgical processing industry and require Environment Clearance as per item 3(a), relating to Metallurgical Industries (Ferrous and Non-ferrous), of the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, mandating the requirement of prior environmental clearance for the projects covered in its Schedule (hereinafter referred to as the said notification), **wherein all non-toxic secondary metallurgical processing units with capacities greater than 5000 tonnes/annum (TPA) fall under category B;***

*Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per **item 3(a)** of the said notification and **shall be exempted from the requirement of public consultation: Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification."***

The PP and their consultant further stated that this plant is located in the Industrial Area, Pithampur, Tehsil & Dist. Dhar. This is a proposal for seeking Environmental clearance for regularization of existing production facilities as per Order dated 12th February, 2020 of Hon'ble NGT in O.A. No. 55/2019 (WZ) in the matter of Gajubha Jesar Jadeja vs Union of India & Ors. Company has valid CTO available from MPPCB with CONSENT No.-AW-52440 Dtd. 13.11.2020 with validity till 30.11.2021.

599वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 अक्टूबर 2022

During presentation it was observed by the committee that in the online form-I on PARIVESH portal PP has applied for Steel Wires Quantity as – 1,01400 TPA and presenting the case for 1,80,000 TPA on the basis of CTE (for quantity as – 1,80,000 TPA) obtained from MPPCB. Committee deliberated on the issue and asked PP to submit revised application for 1,80,000 TPA for consideration of case for TOR and recommended that this case may be sent to SEIAA for onward necessary action.

16. Case No 6819/2020 M/s Atul Polychem, 2nd Floor, Amit Apartment, E-5, Ratlam Kothi, Dist. Indore, MP – 452001 Prior Environment Clearance for Expansion in manufacturing of Synthetic Resin (From 2,700 to 11,000 MT/annum) at Khasra No. 58/1/K, Village - Raokhedi, Post - Mangaliya, AB Road, Tehsil - Sanwer, Dist. Indore (MP). Cat. - 5(f). Environmental Consultant: San Envirotech Pvt. Ltd.

This is the case for Prior Environment Clearance for Expansion in manufacturing of Synthetic Resin at Khasra No. 58/1/k, Village - Raokhedi, Post - Mangaliya, AB Road, Tehsil - Sanwer, Dist. Indore (MP). The proposed project falls under item no 5(f).

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in 425th SEAC meeting dated 26/02/20 wherein ToR was recommended.

EC recommended in 458 SEAC meeting dated 22-09-20. EC granted in 642 SEIAA meeting dated 05-10-20. EC issued vide letter no. 4519-20/SEIAA/20 dated 27-10-20.

SEIAA has sent the on-line case file to SEAC on 23-06-22 for EC amendment. PP has applied for EC amendment in the prescribed form- 4.

The case was presented by the PP and their consultant wherein PP submitted that as per granted EC the total water requirement of plant after expansion will increase to 10.5 KLD and waste water generation will be 6.5 KLD (Domestic 2.0 KLD, condensate from process 3.5 KLD & cooling bleed off 1.0 KLD). PP further submitted that in their submitted EIA report they have proposed to send industrial effluent to CETP after primary treatment at site. However, as per granted EC, it has been instructed by H'ble SEIAA/SEAC M.P. to ensure "Zero Effluent Discharge" from the unit by recycling. To ensure ZLD, industry had explored the possibility of installation of "Zero Liquid Discharge" Plant & reuses the treated water within the premises. However, the capital & maintenance cost for ZLD Plant is expensive. Investment on ZLD plant will be expensive for the industry and the industry would not be able to manufacture the final product at a reasonable cost due to which economic viability will be lost as the cost of ETP for this unit will be approx. 70.00 lakhs. Thus we request the H'ble SEIAA/SEAC M.P. for amendment in EC to allow us to send industrial effluent after primary treatment to CETP, Indore for further treatment &

599वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 अक्टूबर 2022

disposal. The case was scheduled for presentation and discussion in the 582nd SEAC meeting dated 29/06/22 wherein after presentation PP was asked to submit following information for further consideration of the project:

1. Since during public hearing it was recommended by the district authorities that CETP at Sanwer Road, Indore is for the industries located in that area thus what are the zone of influence / consideration of CETP Sanwer Road, Indore? Please provide credible proof issued by the competent authorities to justify your proposal.
2. Detailed justification (component wise) of cost of proposed ETP for Rs. 75.00 lakhs.
3. How PP will ensure safe and spill proof transportation of waste water through tankers from plant site at Mangliya to CETP at Sanwer Road, Indore. How much distance will be travelled by road?

PP has submitted the online query reply raised in 582nd SEAC meeting dated 29.06.2022 through "Parivesh Portal" on dated 17.07.2022 and thus the case was scheduled in the 587th SEAC meeting dated 02/08/22. The case was presented by the PP Mr. Ajay Patel (online). During presentation it was observed by the committee that PP is unable to justify their request for amendment in previous EC conditions. PP is also unable to produce credible proof of competent authorities prescribing the zone of influence / consideration of CETP Sanwer Road, Indore. Committee further observed that in the minutes of public hearing following recommendations were made by the competent authorities:

“उद्योग द्वारा दूषित जल का प्राथमिक उपचार कर इसे लगभग 18 किलोमीटर दूर सांवेर रोड़ औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित कॉमन इफ्ल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट में अंतिम रूप से उपचार एवं निष्पादन हेतु भेजे जाने का प्रस्ताव दिया गया है । यह मान्य योग्य नहीं है । उक्त सीईटीपी सांवेर रोड़ औद्योगिक हेतु स्थापित किया गया है, अतः उद्योग स्वयं के परिसर में विस्तृत दूषित जल उपचार संयंत्र की स्थापना करेगा व उपचारित दूषित जल का पुनर्उपयोग उद्योग/परिसर में वृक्षारोपण हेतु किया जावेगा व उद्योग परिसर से बाहर शून्य निस्त्राव की स्थिति रखी जावेगी । उद्योग द्वारा घरेलू कार्यों से उत्पन्न दूषित जल को सोकपिट में छोड़े जाने का प्रस्ताव मान्य योग्य नहीं है । उद्योग द्वारा उपरोक्तानुसार परिसर में सीवेज सह इफ्ल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जावे व सभी प्रकार के दूषित जल का उपचार कर उसका पुनर्उपयोग सुनिश्चित किया जावे” ।

Considering above recommendations of public hearing a condition was imposed to install ETP and also to ensure “Zero Effluent Discharge”. After deliberations, committee does not agree to the submissions made by PP as no logical answers/reasons are provided by PP to amend the conditions and decided to stand by its earlier recommendations made in 458th SEAC meeting dated 22/09/20.

सेक की उपरोक्त अनुशंसा पर प्रकरण को सिया की बैठक दिनांक 18/08/22 में रखा गया है। अध्यक्ष महोदय के समक्ष परियोजना प्रस्तावक उपस्थित होकर 03 निम्न दस्तावेज उपलब्ध कराये गये, जिन पर भी विचार किया गया :-

599वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 अक्टूबर 2022

- इस संदर्भ में इण्डस्ट्रीज एसोसियशन के द्वारा Ministry of Chemical & Fertilizers Department of Chemicals & Petro-chemicals Industry Facilitation Cell में पत्राचार किया गया था, जिसके जबाब में पत्र क्रमांक 28-58/1/2022-आईएफसी-सीपीसी दिनांक 29/07/22 के माध्यम से निम्न निर्देश प्राप्त हुए हैं :-
“ZLD is not a compulsory condition. Project Proponent (PP) can approach EAC/MoEF&CC for seeking an amendment in EC (Envoironmental Clearance) if is not feasible for that PP”
- उपरोक्त पत्र के प्रकाश में यह भी विचार किया गया कि इकाई एक सूक्ष्म उद्योग श्रेणी की है, जिसके विस्तार की लागत 1.11 करोड़ की प्रस्तावित है । इकाई में ई.टी.पी. लगाना एक महंगा विकल्प होगा, जिससे ZLD की शर्त व्यावहारिक नहीं लगती हैं ।
- अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला इंदौर के पत्र क्रमांक 1023 दिनांक 14/07/22 द्वारा नगर निगम, इंदौर को निर्देशित किया गया है कि मेसर्स अतुल पोलीकेम, राऊखेड़ी के फैक्ट्री से निकलने वाले दूषित जल को प्राथमिक उपचार उपरांत नियमानुसार शुल्क के साथ उपचारित पानी को सी.ई.टी.पी.मे लेना सुनिश्चित करें ।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण पर विस्तृत विचार-विमर्श उपरांत उपरोक्त उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों तथा तथ्यों के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण को पुनः सेक को पुनः भेजा जाना चाहिए । साथ ही परियोजना प्रस्तावक उक्त दस्तावेज अनिवार्यतः ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से सेक को उपलब्ध कराये, जिससे सेक अपने निर्णय पर पुनः विचार कर सके ।

आज दिनांक 06/09/22 को उपरोक्त प्रकरण को समिति के समक्ष रखा गया । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि सिया के निर्देशानुसार परियोजना प्रस्तावक को निम्न दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु ए.डी.एस. जारी किया जाये :-

- Ministry of Chemical & Fertilizers Department of Chemicals & Petro-chemicals Industry Facilitation Cell में पत्राचार किया गया था, जिसके जबाब में पत्र क्रमांक 28-58/1/2022-आईएफसी-सीपीसी दिनांक 29/07/22 के माध्यम से निम्न निर्देश प्राप्त हुए हैं :-
“ZLD is not a compulsory condition. Project Proponent (PP) can approach EAC/MoEF&CC for seeking an amendment in EC (Envoironmental Clearance) if is not feasible for that PP” .
- अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला इंदौर के पत्र क्रमांक 1023 दिनांक 14/07/22 द्वारा नगर निगम, इंदौर को निर्देशित किया गया है कि मेसर्स अतुल पोलीकेम, राऊखेड़ी के फैक्ट्री से निकलने वाले दूषित जल को प्राथमिक उपचार उपरांत नियमानुसार शुल्क के साथ उपचारित पानी को सी.ई.टी.पी.मे लेना सुनिश्चित करें ।

In this above context the case was scheduled for presentation in the 599th SEAC meeting dated 08.10.22 wherein It was observed that PP vide letter dated 17.09.2022 submitted on-line query reply which were asked in the SEAC 592nd meeting dated 06.09.22 . The case

599वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 अक्टूबर 2022

was presented by PP Shri G Ajay Patel, wherein PP submitted that they have uploadd the following documents:-

- Letter of Ministry of Chemical & Fertilizers Department of Chemicals & Petro-chemicals Industry Facilitation Cell is attached as Annexure-1 (vide dated 29.07.2022).
- Letter from ADM is attached as Annexure 2 (vide no. 1144 dated 18.08.22)
- Letter from CETP, Indore is attached as Annexure 3 (vide no. 1023 dated 14.08.22).

The committee obsdrved that Ministry of Chemical & Fertilizers Department of Chemicals & Petro-chemicals Industry Facilitation Cell is mentioned that ZLD is not a compulsory condition and PP can approach EAC, MoEF&CC for amendment in EC condition if it is not feasible for that PP.

- कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इंदौर के पत्र क्रमांक 1144 दिनांक 18/08/22 के द्वारा यह लेख किया गया है, कि उनकी फ़ैक्ट्री से निकलने वाले पानी को प्राथमिक उपचार उपरांत सी.ई.टी.पी. सांवेर भेजा जाता रहा है अतः प्राथमिक उपचार उपरांत नियमानुसार शुल्क के साथ मेसर्स अतुल पोलीकेम के उपचारित पानी को सी.ई.टी.पी. में भेजना जारी रखने का अनुरोध किया गया है। मेसर्स अतुल पोलीकेम, राऊखेड़ी द्वारा कम्पनी से निकलने वाले पानी के लिये सी.ई.टी.पी. सांवेर को पानी के टैंकर का भुगतान देते रहे हैं ओर आगे भी देते रहेंगे।

कम्पनी द्वारा लोक सुनवाई के दौरान कहा गया था कि सांवेर इंडस्ट्रीयल एरिया में स्थित औद्योगिक इकाईयों को सांवेर सी.ई.टी.पी. में पानी भेजना आवश्यक है। ऐंसा कोई क्षेत्र/प्रभावित नियम नहीं है, कि सी.ई.टी.पी. सांवेर इंडस्ट्रीयल एरिया के बाहर औद्योगिक इकाईयों को सांवेर सी.ई.टी.पी. में पानी भेजना प्रतिबंधित है।

अतः उपरोक्तानुसार अतुल पोलीकेम, राऊखेड़ी को सी.ई.टी.पी. सांवेर में पानी भेजने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

- अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला इंदौर के पत्र क्रमांक 1023 दिनांक 14/07/22 द्वारा नगर निगम, इंदौर को निर्देशित किया गया है कि कि मेसर्स अतुल पोलीकेम, राऊखेड़ी के फ़ैक्ट्री से निकलने वाले दूषित जल को प्राथमिक उपचार उपरांत नियमानुसर शुल्क के साथ उपचारित पानी को सी.ई.टी.पी. में लेना सुनिश्चित करें।

The committee after deliberation obserbed that district authorities have recommended the proposal for CETP and PP has also addressed issues raised by committee except component wise of cost justification of proposed ETP of Rs. 75.00 lakhs. After deliberations committee recommends that issue of overseeing the recommendations of public hearing shall be decide by the SEIAA however, alternate methods/options proposed by PP seems to be reasonable considering economical viability for the project.

17. Case No 7817/2020 M/s Viscus Oils Pvt. Ltd, 55/1/2-C, New Palasia, Dist. Indore, MP – 452001 Prior Environment Clearance for Expansion in Manufacturing of Resin & other Edible/non-edible based products at Village - Raokhedi, Post - Mangaliya, A.B. Road, Tehsil - Sanwer, Dist. Indore (MP). Project Category- 5(f) Env. Con. M/s. SAN Envirotech Pvt. Ltd.,

This is case of Prior Environment Clearance for amendment in EC for manufacturing of Resin & other Edible/non-edible based products at Khasra no., Village - Raokhedi, Post - Mangaliya, A.B. Road, Tehsil - Sanwer, Dist. Indore (MP). Previously EC recommended in 545 SEAC meeting dated 29-01-22 and was granted in 706 SEIAA meeting dated 16-02-22. EC was issued vide letter dated 01-03-22.

PP applied for online for EC amendment through Parivesh Portal. In the SEAC 592nd Meeting dated 06-09-22 the case was presented by the PP Mr. Raj Patel, Director stating that the capital and maintenance cost for "ETP & RO Plant" is expensive for the plant. Investment on ETP & RO plant will be expensive for the industry and the industry would not be able to manufacture the final product at a reasonable cost due to which, economic viability is eventually lost. Thus we request for amendment in EC to allow us to send industrial effluent after primary treatment to CETP, Indore for further treatment & disposal. After presentation PP was asked to submit following information for further consideration of the project:

1. Since during public hearing it was recommended by the district authorities that PP shall install ETP and STP to maintain "Zero Liquid Discharge" and ensure its reuse. Since PP has now proposed to dispose its effluent after primary treatment in CETP, Sanwer Road, Indore thus please provide credible proof issued by the competent authorities to justify your proposal i.e. opinion of Collector and Regional Officer, MP Pollution Control Board, Indore.
2. What is the zone of influence / consideration of CETP Sanwer Road, Indore? Can CETP, Sanwer Road, Indore accept effluent anywhere from the Indore city, please provide credible documents.
3. What are the conditions stipulated by MP Pollution Control Board in CTE/CTO issued after expansion for treatment & disposal of waste water?
4. Compliance of earlier EC conditions with verifiable documents from competent authority.
5. Detailed justification (component wise) of cost of proposed ETP & RO.
6. How PP will ensure safe and spill proof transportation of waste water through tankers from plant site at Mangliya to CETP at Sanwer Road, Indore. How much distance will be travelled by road?

PP submitted that following documents are as:-

- The discharge of primary treated effluent from industry has been accepted by CETP, Indore (Indore Municipal Corporation, Indore) vide Letter No. 283 dated 23.06.2022. (Letter attached as Annexure1). The same has been authorized by Additional District Magistrate, Indore (Madhya Pradesh) vide Letter No. 1142/R.A.D.M/2022 dated 18.08.2022. (Letter attached as Annexure-2). The Additional District Magistrate is highest Authority in Public Hearing and conveyed to allow CETP discharge as per this aforesaid letter.
- Further, if we go through PH MOM, all present attendees accepted this project to be expanded and there were not even single suggestions / queries from public present over there. Even, we submitted in final EIA report CETP discharge after in-house primary treatment. Application to RO, MPPCB has also been submitted for there opinion. Acknowledgment letter is attached as Annexure 3. Further, in current CCA renewal Site visit report, the same CETP discharge and ETP operation found in smooth running operations. Further, there is Circular from Industrial Association from Ministry in consultation with MoEFCC saying that if PP is not feasible for implementation of “ZLD”, SEAC/SEIAA/MoEFCC can’t enforced to implement. Since industry is running 35 years in this region and ready to fulfill all the solicitation from SEAC/SEIAA and MPPCB.
- Regarding the zone of influence/ consideration of CETP Sanwer Road, Indore? Cen CETP, Sanwer Road, Indore accepts effluent any where from the Indore city, please provide credible documents. PP submitted that as per letter from ADM, Indore vide letter no. 1142/R.A.D.M/2022 dated 18.08.2022, there is no influence area defined of CETP to accept water from industry stating there is no influence / zone of consideration of the same. Also, ADM, Indore has directed to CETP to accept wastewater of Viscus after primary treatment. Letter is already attached as Annex- 2.
- What are the conditions stipulated by MP Pollution Control Board in CTE/CTO issued after expansion for treatment & disposal of waste water? PP submitted that Due to Covid Pandemic and non-feasibility of ZLD, construction has not been started at the site for expansion work. Therefore, CTE/CTO for expansion shall be taken after grant of Amendment in EC.
- Compliance of earlier EC conditions with verifiable documents from competent authority- As per the MoEF&CC guideline, Environment monitoring report and compliance of conditions mentioned in the environmental clearance needs to be

599वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 अक्टूबर 2022

submitted in month of June and December for the period of October to March and April to September respectively. As first environmental clearance has been granted to plant on 01.03.2022, thus first compliance report of EC is due in December, 2022 for the period of April to September. Also, no work w.r.t to expansion of project is started at site.

- Detailed justification (component wise) of cost of proposed ETP &RO. - Component of Proposed ETP along with Evaporator is attached as Annexure 4.
- How PP will ensure safe and spill proof transportation of wastewater through tankers from plant site at Mangaliya to CETP at Sanwer Road, Indore. How much distance will be travelled by road?- To ensure safe and spill proof transportation of wastewater from plant site to CETP, Sanwer Road, the following measures will be implemented:

1. There will be dedicated tankers duly labelled in accordance with the Motor Vehicles Act (with regard to transportation of hazardous waste), to collect pre-treated effluent and for transportation to CETP following the manifest system.
2. GPS tracking system shall be provided in tankers.
3. Regular maintenance and inspection of equipment.
4. Machinery subjected to high use shall have annual replacement of hoses, fittings, seals, and hydraulic lines.
5. Machinery subjected to low annual use shall have components changed every 3 years.
6. Pay particular attention to proper installation of seals, fittings, etc.
7. Consult an equipment/parts supplier to determine the appropriate maintenance schedule for equipment use.
8. Inspection of all fuel, oil, or fluidcontaining fittings, hoses, and seals during machinery operation to detect leaks shall be done on regular routine.
9. Use of double-walled hydraulic fluid tanks will lessen the likelihood of leaks due to tank rupture.
- 10.. Clean-up materials shall be readily available at all times.
- 11.. Spill kit containers will be rigid plastic barrels or buckets or soft duffel bags. The container serves both for storage of clean materials and for disposal of soiled materials.

599वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 अक्टूबर 2022

In this above context the case was scheduled for presentation in the 599th SEAC meeting dated 08.10.22 wherein It was observed that PP vide letter dated 17.09.2022 submitted on- line query reply which were asked in the SEAC 592nd meeting dated 06.09.22 . The case was presented by Shri Shri Maulik Sutar ,Env. Consultant from M/s. San Envirotech Pvt. Ltd and Shri Raj Patel Patel on behalf of PP,

The committee after deliberation observed that district authorities have recommended the proposal for CETP and PP has also addressed issues raised by committee except component wise of cost justification of proposed ETP of Rs. 75.00 lakhs. After deliberations committee recommends that issue of overseeing the recommendations of public hearing shall be decide by the SEIAA however, alternate methods/options proposed by PP seems to be reasonable considering economical viability for the project.

(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

599वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 अक्टूबर 2022

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.

599वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 08 अक्टूबर 2022

22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

599वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 अक्टूबर 2022

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई –
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण । जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियों आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना ।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है ।

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.

599वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 08 अक्टूबर 2022

10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - f. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - g. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - h. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - i. Minable Potential of sand mine.
 - j. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - k. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.

599वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 08 अक्टूबर 2022

- ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out below the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification.
 - vii. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - viii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - ix. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
 36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
 38. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।
 - नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।
 - नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
 - नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।
 - नोट 4 :- पौधों की ऊँचाई/गोलाई -
 - नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।
 - नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.

599वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 अक्टूबर 2022

2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियों आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.

599वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 08 अक्टूबर 2022

18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - l. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - m. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - n. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - o. Minable Potential of sand mine.
 - p. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - q. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

599वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 अक्टूबर 2022

32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।
- नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई -
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.

599वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 08 अक्टूबर 2022

8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).

599वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 08 अक्टूबर 2022

31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking inter alia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
 - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।
 - नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।
 - नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
 - नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।
 - नोट 4 :- पौधों की ऊँचाई/गोलाई -
 - नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।
 - नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

599वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 अक्टूबर 2022

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियों आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

36. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
37. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
38. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
39. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained